सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025 / 633 दर्ज तिथिः—29.08.2025

1. रतनाराम पुत्र पुनमाराम
2. जोगाराम पुत्र पुनमाराम
3. रावताराम पुत्र पुनमाराम
4. मु. वाली पत्नी पुनमाराम
   जातियान जाट निवासीयान जीयासर ग्राम पं. धोलानाडा तहसील नोखड़ा

......................प्रार्थीगण

बनाम

1. कोशलाराम पुत्र जोराराम
2. तीजोंदेवी पत्न जोराराम
3. नथाराम पुत्र जोराराम
4. निम्बाराम पुत्र जोराराम
5. लिखमाराम पुत्र जोराराम
   जाति जाट निवासी आढतरा (खारकी बेरी) धोलानाडा तहसील नोखड़ा।
6. वेलाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासीयान नेहरों की ढाणी व आढतरा
7. विरधाराम पुत्र जोराराम जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी
8. वरूण पुत्र रतनाराम गांव जीयासर, धोलानाडा तहसील नोखड़ा
9. गोरधनराम पुत्र जोगाराम गांव जीयासर धोलानाडा तहसील नोखड़ा

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री मोहनलाल विश्नोई
अप्रार्थी सं. 3ः—श्री रिड़मलराम चौधरी
अप्रार्थी खसरा सं. 1007 / 1005 —श्री ठाकराराम चौधरी
शेष अप्रार्थीगण—एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—30.03.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—'क' के अन्तर्गत एक

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 955 / 723 / 15.3160 है0 मौजा जीयासर पटवार हल्का धोलानाडा तहसील नोखड़ा में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके पर विद्यमान मार्ग खसरा संख्या 732 / 702 / 2.4119 है0 सरहद मौजा आढ़तरा पटवार हल्का धोलानाडा से होते हुए हुए प्रार्थीगण की आराजी तक नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा फसल के समय उक्त रास्ते पर काश्त करने के कारण मार्ग का अभाव हो जाता है तथा लड़ाई झगड़े की संभावना बनी रहती है। इस कारण उक्त आवेदित रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

जवाब

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। खसरा संख्या 1008 / 1005 के खातेदार उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अप्रार्थीगण विधिवत तामील पश्चात् अनुपस्थित रहने से अनुपस्थित अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुए पत्रावली को सीधे बहस में सुने जाने का निवेदन किया गया।

3. प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तत्पश्चात् प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2024 / 972 दिनांक 10.12.2025 के अनुसार प्रेषित मौका रिपोर्ट तैयार करने में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or	भू—अभिलेख निरीक्षक, आडेल मय पटवारी मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई।
get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records	प्रकरण में दिनांक 25.11.2025 को भू—अभिलेख द्वारा मय पटवारी स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट	1. प्रकरण में समस्त प्रार्थीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ा के नोटिस क्रमांक 1551—1557 दिनांक 11.11.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 25.11.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॅार्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त अप्रार्थीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखड़ाके नोटिस क्रमांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

तैयार की गई।	1551—1557 दिनांक 11.11.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 25.11.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट का नजरी नक्शा निम्न प्रकार हैः—

जिरह

4. प्रकरण में विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने जिरह प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खसरा संख्या खसरा संख्या 732 / 702 / 2.4119 है0 सरहद मौजा आढ़तरा पटवार हल्का धोलानाडा में से प्रार्थी को रास्ता उपलब्ध करवाया जावे। प्रकरण में अप्रार्थीण द्वारा अवगत करवाया गया कि अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के खसरा संख्या 1005 / 959 मौजा जियासर तहसील नोखड़ा के खातेदारान द्वारा एक रास्ता समर्पण किया गया है। उक्त अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के खसरा संख्या 1005 / 959 मौजा जियासर तहसील नोखड़ा से समर्पित रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजी को सड़क मार्ग से जोड़ता है। इस कारण प्रार्थी को खातेदारी आराजी खसरा संख्या 955 / 723 / 15.3160 है0 मौजा जीयासर पटवार हल्का धोलानाडा तहसील नोखड़ा तक पहुंच हेतु खसरा संख्या 1005 / 959 मौजा जियासर तहसील नोखड़ा से समर्पित रास्ता उपलब्धत है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारिज किया जावें। इस पर प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के खसरा संख्या 1005 / 959 मौजा जियासर तहसील नोखड़ा के द्वारा समर्पित रास्ता के स्थान पर तीव्र एवं तीक्ष्ण धोरा / टीला है। इस कारण इस समर्पित मार्ग से होकर रास्ता व्यवहारिक नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त समर्पण प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र को खारीज करवाने की मंशा से किया गया है।

कानूनी—प्रावधान

5. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका—रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है—

> ***251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way.*** *- (1) Where -*
>
> *(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or*
>
> *(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

(i) <u>the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding</u>; and

*(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that <u>absence of alternative means of access proved</u> may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, <u>through the shortest or nearest route,</u> or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted <u>or in lieu of payment of compensation,</u> **<u>on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant preferably having the same price and adjoining to his land.</u>***

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

***68. Application under Sec. 251-A.** - An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*

***69. Enquiry and disposal of application.** - On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-*

(i) <u>the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding</u>; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that <u>absence of alternative means of access is proved,</u> may allow the application. The application shall be

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

विश्लेषण

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955 के नियम–68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी खातेदारी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की खातेदारी आराजी में से होकर कुछ शर्तों के अधीन नवीन रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

   1. *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
   2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
   3. *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।*

वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955 के नियम–68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम प्रथम शर्त *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति* का विश्लेषण किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत सर्वप्रथम यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है अथवा नहीं। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न तीन स्थितियां सामने आती हैः—

1. प्रथम स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर चालू है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते से ही आवागमन करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर अतिक्रमण की वजह से चालू नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते को मौके पर अतिक्रमण हटवाकर चालू करवाने के लिये संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. तृतीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र को प्रथम शर्त को पुष्ट मानते हुए द्वितीय शर्त पर परखा जाना चाहिए।

8. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/972 दिनांक 10.12.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक रिकॉर्डेड रास्ते का अंकन नहीं होना स्पष्ट किया गया है। प्रकरण में राजस्व ग्राम जीयासर तहसील नोखड़ा के राजस्व नक्शे में प्रासंगिक भाग के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक विद्यमान रास्ते से मुख्य सड़क तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकार प्रकरण उक्त तृतीय स्थिति के अंतर्गत आता है एवं शर्त संख्या 01 की पूर्णरूप से पुष्टि प्रतीत होती है।

रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता

9. प्रथम शर्त की पुष्टि पश्चात् द्वितीय शर्त *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता* का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक है। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न तीन स्थितियां सामने आती हैः—

1. प्रथम स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड/कट्टाण रास्ते/सड़क से आरम्भ होकर प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

एवं विद्यमान ⁄ मौके पर चालू रास्ते से आगे अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु रास्ता चाहा गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंचने वाले लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होकर केवल मौके पर चालू कदीमी रास्ते ⁄ सड़क को धारा—251—ए के तहत विद्यमान मौके पर चालू कदीमी रास्ते ⁄ सड़क की चौड़ाई या विस्तारित चौड़ाई के रास्ते पर नवीन रिकॉर्डेड रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही विद्यमान ⁄ मौके पर चालू रास्ते को ही रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता चाहा गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होता है। उक्त स्थिति में भी प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

3. तृतीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड ⁄ कट्टाण रास्ते ⁄ सड़क से कोई संबंध नहीं रखता है तथा प्रार्थी द्वारा केवल एक या एक से अधिक खसरों से होकर नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु सम्पूर्ण रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया है। यहां यह संशय उत्पन्न होता है कि प्रार्थी द्वारा गलत मंशा से प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक नहीं होकर केवल सुविधाजनक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि नहीं करता प्रतीत होता है।

सत्यमेव जयते

4. चतुर्थ स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड ⁄ कट्टाण रास्ते ⁄ सड़क से कोई संबंध नहीं रखता है तथा प्रार्थी द्वारा केवल एक या एक से अधिक खसरों से होकर नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु सम्पूर्ण रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया है। यहां यह स्थिति हो सकती है कि जिन खसरों से रास्ते का अंकन नहीं चाहा गया है वो कोई प्रतिबंधित भूमि किस्म या सामलाती भूमि यथा—चारागाह, नदी, नाले आदि के खसरे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिबंधित भूमि किस्म या सामलाती भूमि से होकर रास्ते के अंकन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में केवल खातेदारी भूमि से होकर रास्ते का अंकन तथा प्रतिबंधित भूमि में रास्ते का गैर—अंकन अपेक्षित होता है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

10. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955, के नियम 68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या—2 में अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/972 दिनांक 10.12.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक रिकॉर्डेड रास्ते का अंकन नहीं होना स्पष्ट किया गया है। प्रकरण में राजस्व ग्राम जीयासर के राजस्व नक्शे में प्रासंगिक भाग के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक विद्यमान रास्ते से मुख्य सड़क तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। उक्त प्रकरण स्थिति संख्या 01 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी को नवीन रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आत्यांतिक प्रतीत होती है। इस प्रकार शर्त संख्या 02 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः उक्त विश्लेषण के अनुसार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने से प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने का अनुतोष स्वीकार किया जाता है। अब इसके पश्चात तृतीय शर्त बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौडाई का **लघुत्तम मार्ग** रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है।

लघुत्तम रास्ता

11. इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी आराजी खसरा संख्या 955/723/15.3160 है0 मौजा जीयासर पटवार हल्का धोलानाडा तहसील नोखड़ा में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके पर रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 732/702/2.4119 है0 सरहद मौजा आढ़तरा पटवार हल्का धोलानाडा के सेढे से होकर नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु निवेदन किया है। प्रकरण में प्रार्थी की आराजी आराजी खसरा संख्या 955/723/15.3160 है0 मौजा जीयासर पटवार हल्का धोलानाडा तहसील नोखड़ा तक पहुंच हेतु रास्ते के दो विकल्प प्रस्तुत किये है। **प्रथम**—प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 1008/1005 मौजा जीयासर पटवार हल्का धोलानाडा से होकर प्रस्तावित किया है। **द्वितीय—** अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के खसरा संख्या 1005/959 मौजा जियासर तहसील नोखड़ा से समर्पित होकर नवीन रास्ता 1006/1005 मौजा जीयासर तहसील नोखड़ा प्रार्थी की आराजी तक प्रस्तावित किया है।

12. प्रकरण में उक्त दोनों रास्तों के विकल्पों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रथम विकल्प प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 1008/1005 मौजा जीयासर पटवार हल्का धोलानाडा से होकर प्रस्तावित किया है। द्वितीय विकल्प के रूप में अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के खसरा संख्या 1005/959 मौजा जियासर तहसील नोखड़ा से

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

समर्पित होकर नवीन रास्ता खसरा संख्या 1006 / 1005 मौजा जीयासर तहसील नोखड़ा प्रार्थी की आराजी तक प्रस्तावित किया है। यहा उल्लेखनीय है कि द्वितीय मार्ग की आराजी का अप्रार्थीगण द्वारा राज्य सरकार को रास्ते हेतु समर्पण कर दिया गया है। इस प्रकार खसरा संख्या 1006 / 1005 मौजा जीयासर तहसील नोखड़ा से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक रास्ता उपलब्ध है। इस प्रकार उक्त खसरा संख्या 1006 / 1005 मौजा जीयासर तहसील नोखड़ा से होकर रास्ता व्यवहारिक रास्ता प्रतीत होता है।

13. इस प्रकार तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2024 / 972 दिनांक 10.12.2025 के अवलोकन अनुसार **द्वितीय विकल्प** का मार्ग ही लघुत्तम व व्यावहारिक मार्ग प्रतीत होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2024 / 972 दिनांक 10.12.2025 द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी तक खसरा संख्या 995 / 723 मौजा जियासर तहसील नोखड़ा से समर्पित होकर नवीन रास्ता खसरा संख्या 1006 / 1005 मौजा जीयासर तहसील नोखड़ा से होकर प्रस्तावित मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

14. इस प्रकार उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2024 / 972 दिनांक 10.12.2025 को प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क काबिल—ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2024 / 972 दिनांक 10.12.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 1006 / 1005 मौजा जीयासर तहसील नोखड़ा में से समर्पित मार्ग पर गैर मुमकिन रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पत्रावली तथा तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रेषित शामिल मिसल रिपोर्ट पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/972 दिनांक 10.12.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन एवं विश्लेषित निष्कर्षानुसार स्वीकार किया जाता है। साथ ही आदेश दिये जाते है कि खसरा संख्या 1006/1005 मौजा जीयासर तहसील नोखड़ा से होकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 995/723 तक समर्पित रास्ते को

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या–1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार नोखड़ा को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 30.03.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.05.05 12:43:32 IST
Reason: SelfAttested